



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telofax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/00/2018/एफओसीओ/196

दिनांक: 19/06/18

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ० प्र०।

(आर्नेलाईन प्रस्ताव संख्या-PP/UP/Road/24614/2017)

विषय आगरा में अक्लीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वाणिज्यीक प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 5065/आगरा/246145/2017
दिनांक- 24.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय का खास्य ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरन्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्तुत किए गये .kml file में प्रस्तावित भूमि एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को नहीं दर्शाया गया है।
2. मूल टोपोग्रीफ प्रस्तुत करें।
3. कई बिन्दुओं पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना दिये गए कार्ड रोकान एरिया के साथ मेल नहीं खाते।

उपरोक्त कृपया दूर करते हुए सूचनाएं व्यवस्थित प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, वायु भवन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आगरा दूत, आगरा, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, राणाजिक वाणिज्यीक प्रभाग, आगरा, उ० प्र०।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 (ता0ट्रि०), लोक निर्माण विभाग, आगरा, उ० प्र०।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रजावली

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 53457/आगरा/24614/2017, दिनांक, लखनऊ, जून 20, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित बिन्दुओं की वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित बिन्दुओं की वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, आगरा को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, (ता0ट्रि०), लोक निर्माण विभाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, आगरा को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।